

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश,  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 180 / /आउशि/छा./2019  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8/1/19

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,  
उच्च शिक्षा  
उज्जैन संभाग उज्जैन

विषय:- सत्र 2018-19 में अनुसूचित जाति संवर्ग के विद्यार्थियों को पी0एचडी शोध छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किये जाने हेतु बजट आवंटन करने के संबंध में ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 941/अति.संचा./18 दि.15.11.2018 एवं पत्र क्र.1175/अति.संचा./19 दि.17.1.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पी0एचडी शोध छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु मांग की गई है । अनुसूचित जाति के शोधार्थियों के लिये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने संबंधी नियमावली की कडिका 3 एवं 4 के अनुसार संबंधित शोधार्थियों को स्वीकृति एतद द्वारा नीचे दर्शाये अनुसार प्रदान की जाती है ।

क्र०	शोधार्थी का नाम	पंजीयन दिनांक	अवधि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	आशाराम परमार	7.11.15	दि.1.4.18 से 6.11.18 तक	1,15,200 /-
2	भावना सिंसोदिया	6.11.15	दि.1.4.18 से 5.11.18 तक	1,14,667 /-
3	कु. वंदना कलमे	29.11.16	दि.1.4.18 से 31.3.19 तक	1,92,000 /-
4	दुर्गा राजलवाल	6.11.15	दि.1.4.18 से 5.11.18 तक	1,14,667 /-
5	दिनेश कुमार रघुवंशी	10.10.15	दि.1.4.18 से 9.10.18 तक	1,00,645 /-
6	विशाल ललावत	10.10.15	दि.1.4.18 से 9.10.18 तक	1,00,645 /-
7	ममता चौहान	14.10.15	दि.1.4.18 से 13.10.18 तक	1,02,710 /-
8	मंजू परमार	5.10.15	दि.1.4.18 से 4.10.18 तक	98,064 /-
9	दिलीप कोचले	25.5.17	दि.1.4.18 से 31.3.19 तक	1,92,000 /-
10	महेश भारती	9.10.15	दि.1.4.18 से 8.10.18 तक	1,00,129 /-
11	श्रीमती विजयेता नागवंशी	30.11.16	दि.1.4.18 से 31.3.19 तक	1,92,000 /-
12	श्रीमती सुदामा सखवार	22.11.16	दि.1.4.18 से 31.3.19 तक	1,92,000 /-
(सोलह लाख चौदह हजार सात सौ सत्तावीस रुपये मात्र)				16,14,727 /-

उपर्युक्त छात्रवृत्ति पर होने वाला व्यय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगा :-

अनुसूचित जाति

मांग संख्या - 44-उच्च शिक्षा -2202-सामान्य शिक्षा

(03) - विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा


(103) - सरकारी कालेज ओर संस्थाएँ

(8855) - पीएचडी अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता

41 - छात्रवृत्ति एवं वृत्तियाँ 0103-41-002


//2//

उक्त स्वीकृति राशि संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग उज्जैन (म0प्र0) द्वारा छात्रवृत्ति के देयक कोषालय में प्रस्तुत कर आहरित करेंगे एवं आहरित राशि का भुगतान संबंधित शोधार्थियों को कर शोधार्थियों से राशि प्राप्ति की हस्ताक्षर सहित पावती एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को अविलम्ब भेजेंगे साथ ही क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग उज्जैन को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश/निर्देश के अनुक्रम में भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। शोधार्थी को छात्रवृत्ति के भुगतान के पूर्व उनके बैंक खातों की आधार सीडिंग की कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।

  
(डॉ० सुषमा दुबे)  
संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा म0प्र0  
भोपाल, दिनांक 8/2/19

पृ.क्रमांक/ 181 /29 /आउशि/छा/19  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल, म.प्र.
3. कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्यप्रदेश।
4. कोषालय अधिकारी संबंधित कोषालय मध्यप्रदेश।
5. संचालक (बजट) उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त राशियों को संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग उज्जैन के डी.डी.ओ. खाते के सर्वर में राशि लोड करें।
6. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ की ओर इस आशय से कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा म.प्र.